दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-09-2026

विषय सूची

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M)

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति

भारतीय उद्योग जगत के अनुसंधान एवं विकास की चुनौती: आर्थिक उदारीकरण से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तक

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

संक्षिप्त समाचार

वंदे मातरम् और अंतःकरण की स्वतंत्रता

विश्व गैंडा दिवस

अमेरिका–डेनमार्क–ग्रीनलैंड समझौता और आर्कटिक सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI)

लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय (CELAC)

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

भारत का प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी होने की तैयार

अभ्यास तरंग शक्ति

खैर वृक्ष

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M)

संदर्भ

- बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism—P4M) पहल का शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत और केन्या इसके प्रारंभिक सह-प्रायोजक थे।

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) क्या है?

- बहुपक्षवाद के लिए साझेदार विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं वाले उन देशों को एक साथ लाने के उद्देश्य से स्थापित एक खुला और लचीला मंच है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग, शांति और समावेशी समृद्धि का समर्थन करते हैं।
- इसकी मूल अवधारणा यह है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक असुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान किसी एक देश द्वारा अकेले कार्य करने से संभव नहीं है।
- किसी औपचारिक गठबंधन के विपरीत, P4M को संवाद, गठबंधन-निर्माण और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें अन्य देशों के लिए भी भागीदारी के अवसर खुले हैं।

P4M के गठन के कारण

- **अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का विखंडन:** द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित बहुपक्षीय व्यवस्था पर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एकतरफा कार्रवाइयों, संरक्षणवाद, प्रतिबंधों, संघर्षों तथा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति कमजोर होते सम्मान के कारण दबाव बढ़ रहा है।
- मुख्यतः 1945 के बाद स्थापित संस्थाएँ आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक शक्ति के समकालीन वितरण को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
    - विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और वैश्विक व्यापार व्यवस्था जैसी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन, साइबर जोखिम, वित्तीय अस्थिरता और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान जैसी समस्याएँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव डालती हैं।
- वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के लिए सामूहिक तंत्रों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

P4M के उद्देश्य

- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** P4M बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने का समर्थन करता है। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार और उसे सुदृढ़ करने के लिए UN80 जैसी पहलों के प्रयासों का विशेष समर्थन किया गया है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन:** सदस्य संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा बल प्रयोग या बल प्रयोग की चेतावनी के निषेध जैसे सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
- **आर्थिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण:** यह पहल लचीली और विविधीकृत आपूर्ति-श्रृंखलाओं, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में आवश्यक सुधारों का समर्थन करती है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों का समाधान:** P4M कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल परिवर्तन को उन क्षेत्रों में शामिल करता है, जहाँ अधिक सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता है।
- **सतत विकास को बढ़ावा देना:** घोषणा-पत्र बहुपक्षीय सहयोग को पेरिस समझौते, सतत विकास लक्ष्यों, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और गरीबी उन्मूलन से जोड़ता है।

भारत की भूमिका और प्रासंगिकता

- भारत लंबे समय से बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, विशेष रूप से वैश्विक निर्णय-निर्माण में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता रहा है।
    - इस प्रकार, P4M G20, BRICS, G4 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों के साथ भारत की व्यापक कूटनीतिक सक्रियता का पूरक है।
- **वैश्विक दक्षिण को अधिक प्रभावी आवाज़:** भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों, जिनमें विकास वित्त, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, जलवायु न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार शामिल हैं, को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** P4M भारत को किसी प्रमुख शक्ति-गुट के साथ विशेष रूप से संरेखित हुए बिना एक अतिरिक्त कूटनीतिक मंच प्रदान करता है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राष्ट्रीय हितों में भिन्नता:** भाग लेने वाले देशों की आर्थिक संरचनाएँ, रणनीतिक प्राथमिकताएँ और प्रमुख शक्तियों के साथ उनके संबंध अलग-अलग हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- **मंचों की अधिकता का जोखिम:** अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पहले से ही परस्पर अतिव्यापी संस्थाओं और गठबंधनों से युक्त है।
- **सीमित प्रवर्तन क्षमता:** P4M संधि-आधारित सुरक्षा गठबंधन नहीं है और इसके पास स्वतंत्र रूप से निर्णयों को लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि P4M रणनीतिक रूप से समावेशी और सभी क्षेत्रों तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों के लिए खुला बना रहे।
- साथ ही, विकासशील देशों के विकास और वित्तपोषण से संबंधित चिंताओं को बहुपक्षीय सुधार के एजेंडे में समुचित स्थान देकर उन्हें अधिक प्रभावी आवाज़ प्रदान की जानी चाहिए।

स्रोत: **TH**

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति

संदर्भ

- आठ वर्ष पहले आयुष्मान भारत की शुरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

परिचय

- भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का शुभारंभ किया।
- **उद्देश्य:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।
- यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसके अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। भारत की लगभग 33% जनसंख्या अर्थात 48.51 करोड़ से अधिक लोगों के पास पहले से ही आयुष्मान कार्ड हैं।

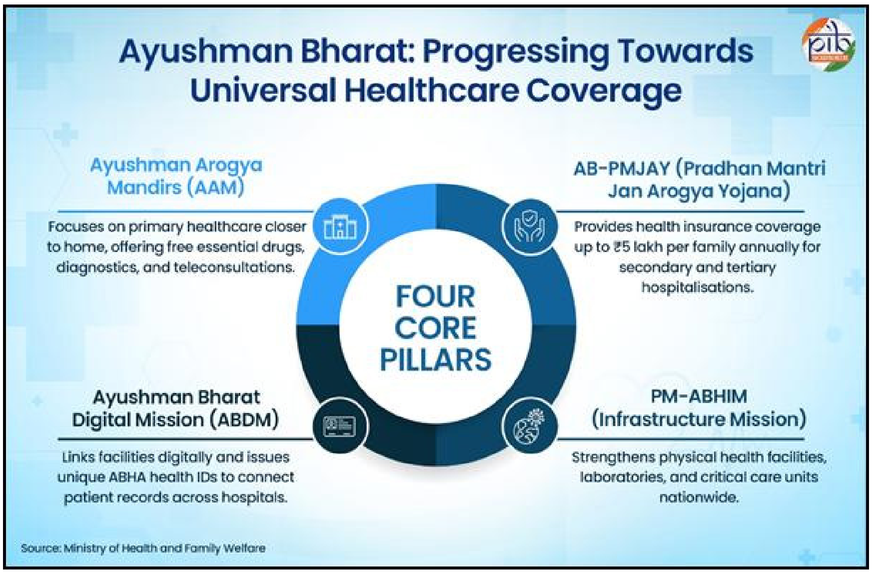

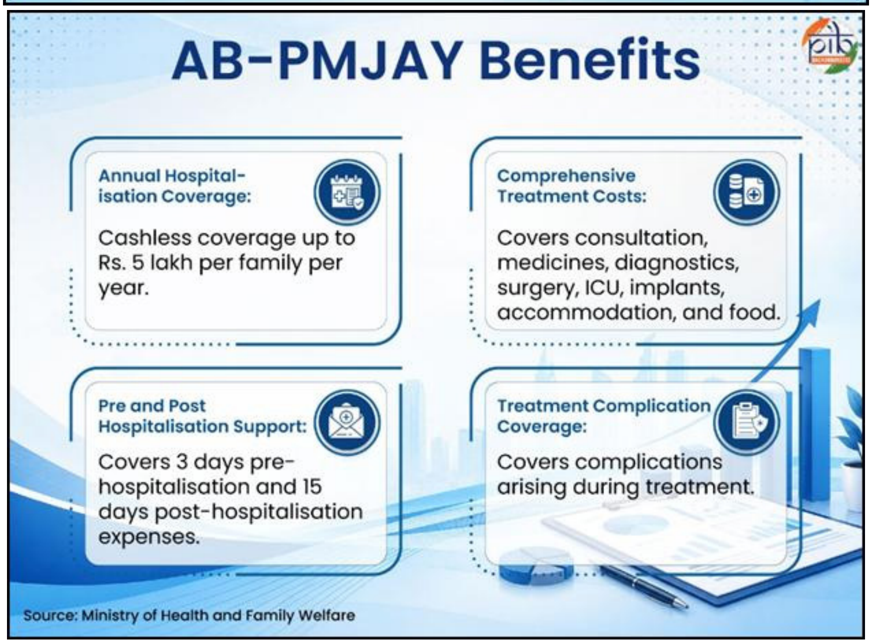

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है?

- इसका अर्थ है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त हो।
- **UHC के प्रमुख घटक:** स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच: प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
    - **गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ:** प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।
    - **वित्तीय संरक्षण:** चिकित्सा व्यय के कारण व्यक्तियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए।
- UHC की आधारशिला स्वास्थ्य के सार्वभौमिक मानवाधिकार में निहित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और अल्मा-अता घोषणा (1978) में मान्यता दी गई थी। इस घोषणा में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी गई थी।

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता

- **स्वास्थ्य पर उच्च प्रत्यक्ष व्यय:** स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवारों द्वारा सीधे वहन किया जाता है, जिससे सुभेद्य परिवार को वित्तीय संकट सामना करना पड़ सकता हैं।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुँच:** ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नैदानिक सुविधाओं तथा गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों की कमी रहती है, जिससे भौगोलिक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **रोगों का व्यापक भार:** भारत संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों प्रकार के रोगों के दोहरे भार का सामना कर रहा है, जिसके लिए सुलभ निवारक, प्राथमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।
- **निवारक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल:** UHC महँगी अस्पताल-आधारित चिकित्सा से ध्यान हटाकर रोगों की रोकथाम, शीघ्र निदान और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर केंद्रित कर सकता है, जिससे तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं पर भार कम होगा।
- **जनसांख्यिकीय एवं महामारी-विज्ञान संबंधी संक्रमण:** वृद्ध होती जनसंख्या और दीर्घकालिक रोगों की बढ़ती व्यापकता के साथ भारत को दीर्घकालिक एवं वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं तक सतत पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

UHC का संवैधानिक आधार:

- भारतीय संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति-निदेशक तत्व स्वास्थ्य के अधिकार के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 39 (e) राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 42 न्यायसंगत एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा प्रसूति सहायता पर बल देता है; और अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का दायित्व सौंपता है।
- संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए अधिकार एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं।

भारत में UHC को अपनाने की चुनौतियाँ

- **संसाधनों की सीमाएँ:** भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तपोषण की महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ता है और कई अन्य देशों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय अपेक्षाकृत कम है। इससे व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **अवसंरचनात्मक कमियाँ:** अनेक क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों सहित पर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कठिन हो जाती है।
- **स्वास्थ्यकर्मियों की कमी:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **खंडित स्वास्थ्य प्रणाली:** भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के सेवा प्रदाता शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में असंगतियाँ देखने को मिलती हैं।
    - इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जबकि वित्तपोषण और प्रमुख योजनाएँ मुख्यतः केंद्र द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में असमानता दिखाई देती है।

निष्कर्ष

- AB-PMJAY पात्र लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करती है, जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समुदायों के और अधिक निकट पहुँचाते हैं।
- ABHA (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) व्यक्तियों को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाने तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में अपने स्वास्थ्य अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

NEXT IAS हिन्दी

- PM-ABHIM स्वास्थ्य केंद्रों, प्रयोगशालाओं और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं के विकास में सहायता प्रदान करके बुनियादी स्तर से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य प्रणाली की अवसंरचना और आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करता है।
- ये पहलें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अस्पताल-आधारित उपचार और सुदृढ़ स्वास्थ्य अवसंरचना तक स्वास्थ्य सेवाओं की सतत श्रृंखला को सुदृढ़ करती हैं।

स्रोत: PIB

भारतीय उद्योग जगत के अनुसंधान एवं विकास की चुनौती: आर्थिक उदारीकरण से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तक

संदर्भ

- हाल के कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास (R&D) संबंधी आँकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय कंपनियाँ नवाचार पर अपने व्यय में वृद्धि कर रही हैं, लेकिन निवेश की मात्रा अभी भी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष पहुँचने और सतत तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास की वर्तमान स्थिति

- कॉरपोरेट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। R&D पर व्यय वित्त वर्ष 1999 में लगभग 150 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 471 हो गया है।
- कुल R&D व्यय वित्त वर्ष 1999 में ₹957.8 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹63,529.2 करोड़ हो गया, जो 16.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है। यह शुद्ध बिक्री में 12.9% की CAGR से अधिक है।
- हालाँकि, R&D की तीव्रता अभी भी सीमित है। वित्त वर्ष 2026 में संयुक्त शुद्ध बिक्री में R&D का हिस्सा 0.91% रहा, जबकि वित्त वर्ष 1999 में यह 0.36% और वित्त वर्ष 2017 में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक 1.15% था।
    - R&D की सूचना देने वाली 471 कंपनियों में से केवल लगभग आधी कंपनियों ने अपनी बिक्री का कम-से-कम 1% R&D पर व्यय किया।

1991 के बाद के सुधार: R&D की ओर परिवर्तन

- 1991 का भुगतान संतुलन (BoP) संकट भारत की विदेशी मुद्रा आय और व्यय के बीच असंतुलन को दर्शाता था। इस संकट ने भारत की कमजोर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर किया।
- सुधारों से पहले भारतीय उद्यम मुख्यतः घरेलू बाजार पर केंद्रित थे और निर्यात तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते थे।
- उदारीकरण का उद्देश्य दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण में सुधार करना था।
- प्रारंभिक दौर में, 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के प्रारंभ में कॉरपोरेट R&D का प्रमुख ध्यान आयातित प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने पर था।
- इसके बाद कंपनियों ने स्वदेशी उत्पादों और समाधानों के विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया।

R&D में वृद्धि अभी भी अपर्याप्त क्यों है?

- **कम R&D तीव्रता:** समग्र रूप से कंपनियों द्वारा किया जाने वाला R&D व्यय अभी भी तकनीकी नेतृत्व के लिए आवश्यक स्तर से कम है।
- **क्षेत्रीय संकेंद्रण:** ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र प्रमुख हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे उभरते वैश्विक R&D क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- **अल्पकालिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण:** R&D का संबंध लाभप्रदता से जुड़ा हुआ है। तीन वर्ष में औसत परिचालन लाभ में वृद्धि का R&D वृद्धि के साथ 70% सहसंबंध है।
- **नवाचार का सीमित पैमाना:** WIPO के 2024 के आँकड़ों के अनुसार, TVS Motors ने 2022-24 के दौरान 283 पेटेंट दाखिल किए, जबकि Huawei ने इसी अवधि में 20,783 पेटेंट दाखिल किए।
- **IT क्षेत्र की संवेदनशीलता:** वित्त वर्ष 2026 में प्रमुख भारतीय IT कंपनियों का R&D व्यय बिक्री का केवल 0.58% रहा, जबकि AI विभिन्न पारंपरिक सेवाओं के स्वचालन के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

संबंधित प्रयास एवं पहल

- सुधारों के बाद की अर्थव्यवस्था में कंपनियों ने समर्पित R&D सुविधाएँ स्थापित की हैं और R&D को रणनीतिक निवेश के रूप में अधिकाधिक महत्व देना शुरू किया है।
    - नीतिगत प्राथमिकता प्रौद्योगिकी के आत्मसातीकरण से आगे बढ़कर स्वदेशी उत्पादों के विकास, तकनीकी नेतृत्व और नवाचार की ओर परिवर्तित हो रही है। यह अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के समग्र प्रयासों में भी परिलक्षित होता है।

NEXT IAS हिन्दी

- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** इसका गठन ANRF अधिनियम, 2023 के अंतर्गत भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
  - इसका उद्देश्य अंतर्विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा अनुसंधान के नवाचार और आर्थिक अनुप्रयोगों में रूपांतरण को बढ़ाना है।
- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) सहायता:** हाल की सरकारी पहलों का ध्यान निजी क्षेत्र में R&D को प्रोत्साहित करने पर बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से डीप-टेक और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में।
  - इसका उद्देश्य उद्योग को अधिक जोखिमपूर्ण और दीर्घकालिक R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके सार्वजनिक अनुसंधान और वाणिज्यिक नवाचार के बीच के अंतर को कम करना है।
- **उद्योग-नेतृत्व वाली R&D अवसंरचना:** भारतीय कंपनियाँ तीव्रता से समर्पित R&D केंद्र, प्रौद्योगिकी परिसर और उत्पाद-विकास सुविधाएँ स्थापित कर रही हैं।
  - यह केवल आयातित प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने से आगे बढ़कर स्वदेशी उत्पादों और समाधानों के विकास की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
- **स्टार्ट-अप और डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत का विस्तारित स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में रूपांतरित करने का एक माध्यम प्रदान करता है।
  - स्टार्ट-अप, स्थापित कंपनियों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच अधिक सहयोग से आविष्कार एवं उसके व्यावसायीकरण के बीच पारंपरिक अंतर को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट नवाचार को बढ़ावा:** नवाचार को रणनीतिक क्षेत्रों के साथ तीव्रता से जोड़ा जा रहा है, जैसे:
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उन्नत कंप्यूटिंग;
  - रक्षा और एयरोस्पेस;
  - इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियाँ;
  - फार्मास्यूटिकल्स और जैव-प्रौद्योगिकी;
  - सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स; तथा
  - क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ।
- **शिक्षा जगत–उद्योग संबंध:** एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को कंपनियों के साथ संयुक्त R&D, ज्ञान हस्तांतरण, पेटेंट और उत्पाद विकास के क्षेत्र में सहयोग करने की आवश्यकता है।
  - इससे शैक्षणिक अनुसंधान को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

आगे की राह

- फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल से आगे बढ़कर विशेष रूप से निजी क्षेत्र में R&D की तीव्रता बढ़ाई जाए।
- उद्योग–विश्वविद्यालय–सरकार के बीच सहयोग तथा अनुसंधान के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- स्थिर नीतिगत समर्थन और जोखिम-साझाकरण तंत्रों के माध्यम से दीर्घकालिक R&D को प्रोत्साहित किया जाए।
- पेटेंट निर्माण तथा बौद्धिक संपदा संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाए।
- भारतीय IT कंपनियों को AI, उन्नत कंप्यूटिंग और उभरती प्रौद्योगिकियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- R&D को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से जोड़ा जाए, ताकि नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों में परिवर्तित हो सके।

निष्कर्ष

- भारत संरक्षित बाजार मॉडल से आगे बढ़कर अधिक तकनीकी महत्वाकांक्षा की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
- हालाँकि, केंद्रीय चुनौती बढ़ते R&D व्यय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पेटेंट, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने की है। इसके लिए भारत को निर्णायक रूप से **'मेड इन इंडिया'** से आगे बढ़कर **'भारत में परिकल्पित और नवाचारित'** की दिशा में अग्रसर होना होगा।

स्रोत: BS

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

संदर्भ

- महाराष्ट्र ने जुलाई 2026 में **महिला किसान सशक्तीकरण विधेयक** पारित किया, जिसके अंतर्गत भूमि के स्वामित्व से स्वतंत्र रूप से महिलाओं को **महिला किसान प्रमाण-पत्र** के माध्यम से किसान के रूप में स्वतंत्र पहचान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

- भारतीय कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके योगदान को प्रायः स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि के बजाय घरेलू कार्य के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

- हाल के PLFS-आधारित अनुमानों के अनुसार, 2025 में कृषि क्षेत्र में लगभग **11 करोड़ महिलाएँ और 12.7 करोड़ पुरुष** कार्यरत थे, जो कृषि रोजगार में लगभग लैंगिक समानता को दर्शाता है।
- ग्रामीण महिला श्रमिकों में लगभग तीन-चौथाई कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है।
- हालाँकि, महिलाओं के कृषि कार्य का एक बड़ा हिस्सा अभी भी **अवैतनिक पारिवारिक श्रम** के रूप में किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और औपचारिक पहचान सीमित होती है।
- **कृषि जनगणना 2015-16** के अनुसार, परिचालन कृषि जोतों के धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल लगभग **14%** थी।

महिला किसानों के समक्ष प्रमुख मुद्दे

- **खंडित आँकड़ा-तंत्र:** कृषि, भूमि, ऋण और कल्याण से संबंधित डेटाबेस हमेशा कृषि में महिलाओं की भागीदारी की समग्र तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं।
- **सामाजिक बाधाएँ:** पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं के भूमि, आय, कृषि मशीनरी और कृषि संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण को सीमित करते हैं।
- **भूमि अभिलेखों पर निर्भरता:** किसान की पहचान को मुख्यतः भूमि अभिलेखों से जोड़ने की व्यवस्था उन महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिनके नाम पर भूमि का स्वामित्व दर्ज नहीं है।
- **एकीकृत परिभाषा का अभाव:** विभिन्न कृषि कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड अपनाते हैं।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **राष्ट्रीय किसान नीति, 2007** ने किसानों की एक व्यापक अवधारणा को अपनाया, जिसमें केवल भूमि-मालिकों के बजाय कृषि उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों को भी शामिल किया गया।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित किया है।
    - स्वयं सहायता समूह महिलाओं को ऋण, आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और सामूहिक कृषि गतिविधियों तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ग्रामीण आजीविका के ढाँचे के अंतर्गत लागू **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)** महिलाओं की क्षमताओं और आजीविका को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- केरल में **कुडुम्बश्री** ने महिला समूहों के माध्यम से सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया है, जिससे कृषि में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत मार्ग विकसित हुआ है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय महिला किसान रजिस्ट्री:** भारत को लैंगिक आधार पर वर्गीकृत ऐसे किसान डेटाबेस की आवश्यकता है, जिसमें किसानों की पहचान केवल भूमि स्वामित्व के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आधार पर की जाए।
- **किसान पहचान-पत्रों का एकीकरण:** किसान के रूप में पहचानी गई महिलाओं को **किसान पहचान-पत्र (Farmer IDs)** प्रदान किए जाने चाहिए, जिन्हें कृषि योजनाओं, ऋण, बीमा, कृषि विस्तार सेवाओं और बाजार मंचों से जोड़ा जा सके।
- **उत्पादक परिसंपत्तियों तक महिलाओं की पहुँच:** पहचान के साथ-साथ महिलाओं को संस्थागत ऋण, कृषि मशीनरी, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों, कृषि विस्तार सेवाओं, बाजारों और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

स्रोत: TH

NEXT IAS हिन्दी

संक्षिप्त समाचार

वंदे मातरम् और अंत:करण की स्वतंत्रता

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय गीत के दायरे और उसकी अवधि निर्धारित कर सकती है, लेकिन वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती और न ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई थोप सकती है, जो अपने अंत:करण के आधार पर इसे गाने से इनकार करते हैं।

संवैधानिक और कानूनी स्थिति

- संविधान सभा ने **वंदे मातरम्** को राष्ट्रगान के समान सम्मान के साथ राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया था, लेकिन दोनों के लिए समान कानूनी व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई।
- **राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026:** यह **राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971** में संशोधन करने का प्रयास करता है।
    - संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या इसके गायन में संलग्न सभा में व्यवधान उत्पन्न करना अपराध बनाया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 51A(a) — मौलिक कर्तव्य:** प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना अनिवार्य करता है।
- **स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण का अभाव:** राष्ट्रगान के विपरीत, वंदे मातरम् को संविधान के किसी प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संरक्षण प्राप्त नहीं है।
    - इसकी स्थिति प्रवर्तनीय संवैधानिक प्रावधान से नहीं, बल्कि संविधान सभा के प्रस्तावों से निर्धारित होती है।
- जहाँ अनिवार्य सहभागिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक विश्वास से संबंधित अधिकारों के साथ टकराती है, वहाँ **अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25** प्रासंगिक हो जाते हैं।

बिजो एमैनुएल निर्णय, 1986

- **बिजो एमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविक धार्मिक विश्वास के आधार पर राष्ट्रगान के गायन में सम्मानपूर्वक भाग न लेना **अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25** के तहत संरक्षित है।
- न्यायालय ने कहा कि केवल भाग न लेना अपने आप में राष्ट्रगान के प्रति अनादर नहीं माना जा सकता।

वंदे मातरम्

- वंदे मातरम् की रचना **बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय** ने संस्कृत में की थी।
- यह प्रथम बार **7 नवंबर 1875** को साहित्यिक पत्रिका **बंगदर्शन** में प्रकाशित हुआ। बाद में इसे वर्ष **1882** में प्रकाशित उपन्यास **आनंदमठ** में शामिल किया गया।
    - **आनंदमठ** की पृष्ठभूमि 1769–73 के बंगाल अकाल और **सन्यासी विद्रोह** से जुड़ी हुई है।
- वंदे मातरम् का प्रथम बार सार्वजनिक गायन **रवींद्रनाथ टैगोर** ने वर्ष **1896** में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया था।
- **1905 के स्वदेशी आंदोलन** के दौरान वंदे मातरम् नागरिक प्रतिरोध के प्रमुख गीत के रूप में उभरा।
    - एक राजनीतिक नारे के रूप में **वंदे मातरम्** का प्रयोग **7 अगस्त 1905** को किया गया था।
- **राष्ट्रीय गीत: 24 जनवरी 1950** को इसकी प्रथम दो पंक्तियों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।

स्रोत: TH

विश्व गैंडा दिवस

समाचारों में

- विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष **22 सितंबर** को विश्वभर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडा प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

परिचय

- इस दिवस का प्रस्ताव प्रथम बार **WWF-दक्षिण अफ्रीका** द्वारा वर्ष **2010** में रखा गया था और वर्ष 2011 से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वर्तमान में इसका समन्वय मुख्यतः **इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF)** द्वारा किया जाता है।
- इस वर्ष की विषय-वस्तु **"कीप द फाइव अलाइव (Keep the Five Alive)"** है।
- IRF की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, गैंडे की सभी पाँच प्रजातियों की वैश्विक जनसंख्या लगभग **26,700** है और पाँच में से चार प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं।
- इन चार प्रजातियों—**काला गैंडा, सफेद गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावन गैंडा**—का प्राकृतिक आवास केवल अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया तक सीमित है।

भारत में गैंडे की स्थिति

- विश्व में पाई जाने वाली पाँच जीवित गैंडा प्रजातियों में से केवल **एक सींग वाला गैंडा (राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस)** भारत में पाया जाता है।
    - भारतीय गैंडा एक सींग वाला गैंडा है, जबकि अफ्रीकी गैंडों के दो सींग होते हैं। इसकी त्वचा मोटी और परतदार होती है, जो इसे कवच जैसी आकृति प्रदान करती है।
    - यह एशिया में पाई जाने वाली गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ी है और यह जावन तथा सुमात्राई गैंडों से अलग विशेषताएँ रखता है।
    - **IUCN स्थिति:** सुभेद्य तथा **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित।

- 20वीं सदी के प्रारंभ में आवास की हानि , शिकार तथा मानव-गैंडा संघर्षों के कारण यह प्रजाति लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई थी।
- **असम** के **काजीरंगा, मानस, पोबितोरा और ओरांग** में लगभग **3,260 एक सींग वाले गैंडे** पाए जाते हैं, जो इसकी वैश्विक जनसंख्या का लगभग **80%** है।
- **काजीरंगा** को वर्ष **1974** में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और बाद में वर्ष **2006** में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। वर्ष **1985** में इसे **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में मान्यता मिली, जिससे इसे अधिक सुदृढ़ कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ।
- **इंडियन राइनो विजन 2020 (IRV 2020)** को वर्ष **2005** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असम में गैंडों की जनसंख्या को बढ़ाकर **3,000** करना और उन्हें कम-से-कम सात संरक्षित क्षेत्रों में फैलाना था।
  - **IRV 2.0:** वर्ष **2021** में शुरू की गई इस अनुवर्ती पहल का उद्देश्य वर्ष **2030** तक संरक्षित क्षेत्रों में **4,500–5,000 गैंडों** के संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

स्रोत: PIB

अमेरिका–डेनमार्क–ग्रीनलैंड समझौता और आर्कटिक सुरक्षा

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने आर्कटिक तथा उत्तरी अटलांटिक की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के विस्तार की योजनाएँ भी शामिल हैं।

ग्रीनलैंड के बारे में

- यह अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, जिसके NATO के साथ सुदृढ़ रक्षा संबंध हैं।
- **स्थिति:** यह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागरों के बीच, कनाडा के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा गैर-महाद्वीपीय द्वीप है और इसके लगभग 80% भू-भाग पर विशाल हिमचादर (Ice Sheet) का विस्तार है।

ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व

- **सैन्य महत्व:** ग्रीनलैंड मिसाइल चेतावनी, मिसाइल रक्षा और उपग्रह निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण।
- **रूस और चीन:** आर्कटिक तक बढ़ती पहुँच ने रूस, चीन और NATO के सदस्य देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है।
- **उभरते समुद्री मार्ग:** आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र भू-राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बन रहा है।
- **महत्वपूर्ण खनिज:** ग्रीनलैंड में खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है, जिससे इसके सामरिक महत्व को आर्थिक आयाम भी प्राप्त होता है।

ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति

- अमेरिका दशकों से ग्रीनलैंड में सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है।
- उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित **पिटुफिक अंतरिक्ष अड्डा** वर्तमान में अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मेजबानी करता है तथा अमेरिका और NATO के लिए मिसाइल चेतावनी, मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी अभियानों में सहयोग प्रदान करता है।

स्रोत: BBC

अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI)

समाचारों में

- विस्तारित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ **अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI)** के दुरुपयोग की चिंता बढ़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI)

- IMEI एक विशिष्ट 15-अंकीय संख्या है, जो दूरसंचार नेटवर्क पर किसी मोबाइल उपकरण की पहचान करती है।
- IMEI के प्रथम आठ अंक **टाइप एलोकेशन कोड (TAC)** बनाते हैं, जो उपकरण के मॉडल या प्रकार की पहचान करते हैं।
- **ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA)** निर्माताओं और ब्रांड स्वामियों को TAC के वैश्विक आवंटन की निगरानी करता है। इसके बाद निर्माता व्यक्तिगत उपकरणों को विशिष्ट IMEI प्रदान करते हैं।
- दोहरी-SIM वाले मोबाइल फोन में सामान्यतः दो IMEI नंबर होते हैं, प्रत्येक SIM स्लॉट के लिए एक।

अनधिकृत परिवर्तन से संबंधित मुद्दे

- अवैध IMEI अनधिकृत परिवर्तन से आशय मोबाइल उपकरण की विशिष्ट IMEI संख्या को जानबूझकर हटाने, मिटाने, या उसमें परिवर्तन करने से है।
- इसमें ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का जानबूझकर उपयोग, निर्माण, बिक्री/तस्करी, नियंत्रण या कब्जा रखना भी शामिल है, जिन्हें IMEI में परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए विन्यस्त किया गया हो।
- ऐसी गतिविधियाँ उपकरण की पहचान में बाधा डाल सकती हैं, कानून प्रवर्तन को जटिल बना सकती हैं तथा दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं।

IMEI से अनधिकृत परिवर्तन के विरुद्ध कानूनी संरक्षण

- भारत में दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचा उपस्थित है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023** स्मार्टफोन तथा अन्य दूरसंचार उपकरणों के IMEI जैसे दूरसंचार पहचानकर्ताओं में हेरफेर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है।

सुझाए गए उपाय

- निर्माताओं और आयातकों को **डिवाइस सेतु–ICDR पोर्टल** के माध्यम से वास्तविक और विशिष्ट IMEI का पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। विक्रेताओं को IMEI का सत्यापन करना चाहिए तथा परिवर्तित उपकरणों के व्यापार से बचना चाहिए।
- उपभोक्ताओं को लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही उपकरण खरीदने चाहिए, अपने उपकरणों को सुरक्षित रखना चाहिए, अधिकृत मरम्मत केंद्रों का उपयोग करना चाहिए तथा IMEI का सत्यापन करना चाहिए। उपकरण के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, प्रतिस्थापन SIM प्राप्त करनी चाहिए तथा **संचार साथी/CEIR** के माध्यम से उपकरण को ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि धोखाधड़ी की रोकथाम और दूरसंचार सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायता मिल सके।

स्रोत: PIB

लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय (CELAC)

संदर्भ

- विदेश मंत्री ने भारत–लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय (CELAC) के विदेश मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अधिक एकजुटता का आह्वान किया।

परिचय

- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय (CELAC) लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के 33 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है।
- इसका गठन वर्ष 2010 में आयोजित एकता शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसमें रियो समूह का 21वाँ शिखर सम्मेलन तथा एकीकरण और विकास पर दूसरा लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई शिखर सम्मेलन (CALC) शामिल था।
- **उद्देश्य:** क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए सभी लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों को एकजुट करना।
- यह रियो समूह तथा एकीकरण और विकास पर दूसरे लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई शिखर सम्मेलन (CALC) का उत्तराधिकारी संगठन है।
- वर्ष 2025–26 में भारत–CELAC द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर **50 अरब डॉलर** हो गया।

- भारत ने विभिन्न व्यापक क्षेत्रों में CELAC देशों के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- यह बैठक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तथा साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की पारस्परिक इच्छा को दर्शाती है।

स्रोत: MEA

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

समाचारों में

- हाल ही में **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)** ने अपने 5 वर्ष पूर्ण किए।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)

- इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था और इसका कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** द्वारा किया जाता है।
- यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और नियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों को एक समान डिजिटल मंच पर एकीकृत करती है।
- यह निवेशकों को स्वीकृतियों की पहचान करने, उनके लिए आवेदन करने तथा उनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करती है।
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में **अपनी स्वीकृतियों को जानें , सामान्य पंजीकरण प्रपत्र , आवेदक डैशबोर्ड , दस्तावेज़ भंडार** और **ई-संचार मॉड्यूल** शामिल हैं।

महत्व

- यह एकल बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने, ऑनलाइन प्रसंस्करण और वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी के माध्यम से स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, दोहराव और अनुपालन के भार को कम करती है तथा स्वीकृति प्राप्त करने में लगने वाले समय को घटाती है। साथ ही, यह पारदर्शिता और समन्वय को बेहतर बनाती है।
- यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और नियामक प्राधिकरणों के बीच बढ़ते एकीकरण का लाभ उठाकर भारत में व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने तथा अधिक सुगम निवेश पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान दे रही है।

स्रोत: PIB

भारत का प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी होने की तैयारी

संदर्भ

- सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत के प्रथम **ब्लू बॉन्ड** के माध्यम से **6 अरब रुपये** एकत्रित करने की योजना बनाई है।

ब्लू बॉन्ड क्या हैं?

- ब्लू बॉन्ड एक ऋण साधन है, जिसे राष्ट्रीय सरकारों, विकास बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा समुद्री एवं महासागरीय परियोजनाओं के लिए वित्त एकत्रण हेतु जारी किया जाता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालिक सततता और उससे संबंधित लाभ सुनिश्चित करना होता है।
- ब्लू बॉन्ड पारंपरिक बॉन्ड की तरह कार्य करते हैं, जिसमें निवेशक बॉन्ड जारीकर्ता को पूँजी उधार देता है। जारीकर्ता बॉन्ड की अवधि समाप्त होने तक प्रत्येक वर्ष ब्याज के साथ मूल निवेश की राशि वापस करता है।
- **सेशेल्स** ने विश्व बैंक की **SWIOFish3 परियोजना** के माध्यम से विश्व का प्रथम संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया था, जिसका उद्देश्य उसकी महासागरीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना था।

सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SMFCL)

- इसे वर्ष 2016 में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया था।
- पूर्व में **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL)** के नाम से जानी जाने वाली SMFCL को वर्ष 2025 में **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** का लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे यह भारत के समुद्री क्षेत्र की पहली NBFC बन गई।

स्रोत: BS

अभ्यास तरंग शक्ति

संदर्भ

- भारतीय वायु सेना के बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास **तरंग शक्ति 2026** के दूसरे संस्करण का आयोजन वायु सेना स्टेशन, जोधपुर तथा आसपास के वायु अड्डों पर किया जा रहा है।

परिचय

- इस अभ्यास का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को वास्तविक और समकालीन युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों में बहुराष्ट्रीय संयुक्त युद्ध अभियानों की योजना बनाने एवं उन्हें संचालित करने का अनुभव प्रदान करना तथा सामरिक रूप से व्यवहार्य समाधान विकसित करना है।

- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित आठ मित्र विदेशी देश अपने वायु संसाधनों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे, जबकि 32 देश पर्यवेक्षकों के रूप में इसमें शामिल होंगे।
- इस अभ्यास का प्रथम संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित किया गया था और इसे तमिलनाडु के सुलूर तथा राजस्थान के जोधपुर में दो चरणों में संचालित किया गया था।

स्रोत: AIR

खैर वृक्ष

संदर्भ

- पश्चिमी ओडिशा के वनों में खैर वृक्ष कथित तौर पर **120 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क** का हिस्सा बन गया है।

परिचय

- खैर वृक्ष **फैबेसी (Fabaceae)** कुल से संबंधित है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली कई प्रजातियाँ शामिल हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं।
- खैर वृक्ष **(अकेसिया कैटेचू)** भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण देशज वृक्षों में से एक है।
- खैर वृक्ष लंबे समय से अपनी **टिकाऊ प्रकृति, औषधीय गुणों और पारंपरिक उद्योगों में भूमिका** के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
- खैर वृक्ष के हृदयकाष्ठ से प्राप्त **कत्था (कैटेचू एक्सट्रैक्ट)** का व्यापक रूप से पान में उपयोग किया जाता है और यह पूरे भारत में पान की दुकानों पर सामान्यतः उपलब्ध होता है।

स्रोत: IE

■■■

NEXT IAS हिन्दी